प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0क0/यी0एच0एन्डडी0/दिशा–निर्देश/2016–17/3204-75 दिनांकः 21 सितम्बर, 2016

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एव पोषण दिवस हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर RMNCH+A सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेतु ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर से शासनादेश संख्या 146/पाँच–9–2015–9 (127)/12 दिनांक 28.01.2015 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–मा.शि.क./वी.एच.एन.डी./दिशा–निर्देश/2015–16/146–17 दिनांक 26.10.2015 के द्वारा दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जनपदों द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आया है। पिछले एक वर्ष के दौरान जनपदों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर उक्त शासनादेश में उल्लेखित बिन्दुओं को और अधिक स्पष्ट करने हेतु तदानुसार कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./विविध/2016–17/55/वाल्यूम–1/5341 दिनांकः 14.09.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों मे आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एंव पोषण दिवस मदो में धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त मदों में धनराशि व्यय करने एंव कार्यक्रमों के संचालन के उद्देश्य से दिशा–निर्देश आपको उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों मे आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एंव पोषण दिवस के संबंध में दिशा–निर्देश संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि दिशा–निर्देश में निहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट एस0पी0एम0यू0 कार्यालय एंव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रांकः मा0शि0क0/यी0एच0एन्डडी0/दिशा–निर्देश/2016–17/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, सी0पी0, एसपीएमयू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

महानिदेशक
परिवार कल्याण

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर RMNCH+A सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेतु ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर से शासनादेश संख्या 146/पाँच–9–2015–9 (127)/12 दिनांक 28.01.2015 एवं महानिदेशक परिवार कल्याण, उ0प्र0 के प. संख्या–मा.शि.क./वी.एच.एन. डी./दिशा–निर्देश/2015–16/146–17 दिनांक 26.10.2015 के द्वारा दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जनपदों द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आया है। पिछले एक वर्ष के दौरान जनपदों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर उक्त शासनादेश में उल्लेखित बिन्दुओं को और अधिक स्पष्ट करने तदानुसार कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर निम्न गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जानी हैं।

1. क्षमतावर्द्धन

- वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों (ए0एन0एम0, आशा एवं आँगनवाड़ी) एवं उनके ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों का ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु प्रशिक्षण किया जा चुका है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सत्रों के अनुश्रवण के दौरान यह पाया गया है कि कतिपय स्थानों में ए0एन0एम0, आशा एवं आँगनवाड़ी प्रशिक्षण के दौरान बताये गये सभी कौशल, जानकारी तथा ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं कर पा रही हैं, अतः उक्त कौशल हेतु इन कार्यकत्रियों का समय–समय पर क्षमतावर्द्धन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः इन प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों का ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले नियमित बैठकों के दौरान क्षमतावर्द्धन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी ए0एन0एम0 को टीकाकरण, ब्लड–प्रेशर की जाँच, हीमोग्लोबिन की जाँच, पेशाब की जाँच या अन्य परीक्षण करने में कठिनाई आ रही हो तो ब्लॉक स्तर पर नियमित बैठकों में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा स्टॉफ नर्स द्वारा क्षमतावर्द्धन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी आशा को ड्यू लिस्ट बनाने या लाभार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क कर प्रेरित करने में कठिनाई हो रही है तो इन आशाओं को मासिक क्लस्टर बैठक के दौरान ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अथवा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा क्षमतावर्द्धन किया जाना चाहिए। आँगनवाड़ी को यदि ग्रोथ चार्ट भरने अथवा कुपोषित बच्चों की पहचान करने में समस्या आ रही हो तो सम्बन्धित सी0डी0पी0ओ0 अथवा सम्बन्धित पर्यवेक्षक द्वारा उनका मासिक सेक्टर बैठक में क्षमतावर्द्धन किया जाना चाहिए।
- ब्लॉक स्तर पर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि इस सम्बन्ध में अपने कार्यक्षेत्र हेतु एक कार्य योजना विकसित करेंगे जिससे अगले तीन माह के दौरान सभी चिन्हित प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों के कौशल में आवश्यक सुधार परिलक्षित हों। जिला नोडल अधिकारी वी0एच0एन0डी0 (जिला प्रतिरक्षण अधिकारी) इसका नियमित अनुश्रवण कर एवं इसकी सूचना राज्य स्तर पर भी प्रेषित करेंगे।

2. माइक्रोप्लानिंग

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की माइक्रोप्लानिंग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में उपर्युक्त वर्णित शासनादेश के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं। सूक्ष्म कार्ययोजना का सबसे महत्वपूर्ण अवयव

सत्र हेतु उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना है जहाँ पर प्रसव पूर्व प्रमुख जांचें– मूत्र की जांच, रक्त की जांच, पेट की जांच, रक्तचाप का माप तथा वजन लिया जाना–सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सत्रों के अनुश्रवण के दौरान यह पाया गया है कि कतिपय सत्र स्थलों में आवश्यक स्थान की कमी है। इसी प्रकार कई स्थानों पर निजता का अभाव है जिस कारण इन सत्रों में गर्भवती महिलाओं की जाँच, परिवार नियोजन, आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

- समस्त ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे स्थलों को चिन्हित कर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराये। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर प्रत्येक ए.एन.एम. के साथ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की माइक्रोप्लानिंग का विश्लेषण करे तथा ऐसे स्थानों को चिन्हित करे जहां ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान दी जाने वाली सभी सुविधाओं को दिया जा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अथवा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य पर्यवेक्षकीय अधिकारी द्वारा ऐसे सभी गाँवों का भ्रमण किया जाना चाहिए एवं समस्त हितधारकों विशेषकर गाँव प्रधान, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा संगिनी, सामुदायिक प्रभावशाली व्यक्ति, समुदाय आधारित गैर–सरकारी संस्था, स्वयं सहायता समूह, शिक्षा, PRI एवं अन्य विभागों के ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से मिलकर उपयुक्त सत्र स्थल के चिन्हीकरण हेतु विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। स्थल के चयन के समय पर्याप्त स्थान की उपलब्धता, निजता तथा पेट की जाँच हेतु आवश्यक स्थान एवं शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। स्थल को चिन्हित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह गाँव के अन्दर ही ऐसी जगह हो जहाँ पर समुदाय के प्रत्येक वर्ग से महिलाएं एवं बच्चे प्रदत्त सेवाएं प्राप्त करने हेतु बिना किसी सामाजिक अथवा आर्थिक व्यवधान व अवरोध के पहुँच सकें। जहां तक संभव हो पूर्व में निर्धारित स्थान के समीप ही नये स्थान का चयन किया जाये।
- यदि सामुदायिक भागीदारी से प्राप्त स्थल में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तो सत्र को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर इसको आकर्षक बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, सत्र स्थल को विशेष कार्य के अनुसार कई अनुभागों में विभाजित किया जा सकता है–जैसे पंजीकरण डेस्क, प्रतीक्षा स्थल, टीकाकरण एवं प्रसव–पूर्व जांच अनुभाग, THR वितरण स्थल, परामर्श अनुभाग इत्यादि। इससे एक ही समय में एक ही स्थल पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तथा प्रभावी भीड़ प्रबंधन हो पायेगा। इसके अतिरिक्त गाँव अथवा क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संस्था के सदस्यों का अवश्य सहयोग लिया जाना चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर एक उत्सव जैसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे लाभार्थियों को सत्र पर दी जाने वाली सेवाओं को प्राप्त करने में उत्साह वर्द्धन किया जा सके।
- कई जनपदों में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे– गोद भराई, हेल्दी बेबी शो, रंगोली आदि का आयोजन किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

3 लॉजिस्टिक प्रबन्धन–

- विगत एक वर्ष में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर सभी आवश्यक उपकरणों एवं लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता में काफी सुधार देखने में आया है, परन्तु अभी भी कई स्थलों पर इन उपकरण की उपलब्धता हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता दिखाई देती है। इस हेतु ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शासनादेश में दिये गये आवश्यक सामग्रियों की सूची के अनुसार सत्र स्थलवार Gap Analysis करना चाहिए। प्रत्येक ए0एन0एम0 से उनके कार्यक्षेत्र में सत्र स्थलवार आवश्यक सामग्रियों की सूची तैयार संकलित करना चाहिए। उक्त संकलित सूचना के आधार पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि कोई सामग्री/उपकरण ब्लॉक अथवा जनपदीय स्टोर से उपलब्ध नहीं करायी जा पा रही है, ऐसी स्थिति में उपकेन्द्र अथवा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु अनुमोदित अन्टाइड फण्ड से इन सामग्रियों को सम्बन्धित सत्र स्थल पर उपलब्ध कराया जा सकता है। रक्त अथवा मूत्र जाँच सम्बन्धित कन्जूमेबुल्स की उपलब्धता जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत डायग्नोसिस मद में उपलब्ध धनराशि से की जा सकती है।

- उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ सामग्री जैसे– कुर्सी, मेज, पर्दे, चटाई, तख्त पीने का पानी आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा सकता है। कई बार यह देखने में आता है कि नियमित टीकाकरण के लिए आवश्यक सामग्रियां अल्टरनेट वैक्सीन डिलवरी सिस्टम के माध्यम से सत्र स्थल तक न पहुंचा कर किसी भी अतिरिक्त डिपो तक ही पहुँचाई जातीं हैं जिससे आवश्यक सामग्रियां समय से सत्र स्थल पर नहीं पहुँच पाती हैं तथा सत्र प्रभावित होता है। अतः ये सुनिश्चित किया जाये कि सामग्रियां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सीधे सत्र स्थल तक पहुँचाई जाये। दूरस्थ स्थानों पर आयोजित किये जाने वाले सत्र स्थलों तक विभिन्न सामग्रियों को पहुँचाने में क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों अथवा स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा सकता है।

4. सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सत्रों के अनुश्रवण के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि कई उपकेन्द्रों में ए0एन0एम0 के पद रिक्त हैं जिसके कारण ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के आयोजन में समस्या आ रही है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनपद के समस्त उपकेन्द्रों में कम से कम एक ए0एन0एम0 उपलब्ध है। यदि जनपद में पर्याप्त संख्या में ए0एन0एम0 उपलब्ध नहीं है तो इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर नियमित सूचना प्रेषित की जानी चाहिए। प्रसव इकाई वाले उपकेन्द्रों में द्वितीय ए0एन0एम0 की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है। ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के माध्यम से उपकेन्द्र/सत्रवार ए0एन0एम0 की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। यदि कोई उपकेन्द्र रिक्त है तो महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका द्वारा उक्त उपकेन्द्र के सत्रों का संचालन किया जाना चाहिए। जिन उपकेन्द्रों में 8 से कम सत्र संचालित होते हैं उस उपकेन्द्र पर कार्यरत ए0एन0एम0 द्वारा रिक्त उपकेन्द्रों के सत्रों के संचालन हेतु जिम्मेदारी दी जा सकती है।
- ए0एन0एम0 के अतिरिक्त सत्रवार आशाओं की उपलब्धता की भी Gap Analysis करना चाहिए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि एक आशा के कार्यक्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में 1500 से अधिक की जनसंख्या न हो। ऐसी स्थिति में आशा चयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के अनुसार नवीन आशा के चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5 ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अनुश्रवण –

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के गुणवत्तापरक संचालन हेतु ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा नियमित पर्यवेक्षण आवश्यक है। पर्यवेक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाये कि पर्यवेक्षण सतही तौर पर न करके पूर्ण समय देकर किया जाये। पर्यवेक्षकीय चेक लिस्ट के सभी कॉलम अवश्य भरे जायें। सत्रों का अनुश्रवण अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अन्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एवं अन्य पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा भी किया जाये। अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बुधवार एव शनिवार को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उपलब्ध वाहन ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु अनुश्रवण हेतु उपलब्ध रहें। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा प्रतिमाह कम से कम 6 दिन ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का अनुश्रवण अवश्य करें। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा कुल आयोजित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में से 20 प्रतिशत सत्रों का अवश्य अनुश्रवण किया जाये। इस हेतु पर्यवेक्षकीय अधिकारी को रू0 100 प्रतिदिन देय होगी। यदि किसी पर्यवेक्षकीय अधिकारी द्वारा एक से अधिक सत्रों का अनुश्रवण किया जाता है तो भी केवल एक सत्र हेतु धनराशि देय होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक ही ग्राम अथवा सत्र का बार–बार अनुश्रवण न किया जाये। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के अनुश्रवण की सूचना उसी दिन दूरभाष द्वारा जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्यरत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को माइक्रोप्लान के अनुसार अधिक से अधिक सत्रों का अनुश्रवण किया जाये। इस हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उपलब्ध वाहन का भी उपयोग किया जाये। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के अनुश्रवण की सूचना अगले दिन ईमेल द्वारा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के सम्बन्धित अनुभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मासिक बैठक में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अनुश्रवण प्रपत्रों एवं उसके अपलोडिंग की समीक्षा की जायेगी एवं इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी अवगत कराया जायेगा। अधिकारियों पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति, आशा शिकायत निवारण, आशा प्रतिपूर्ति, एच.बी.एन.सी. इत्यादि कार्यों का भी अनुश्रवण किया जाये।
- उपरोक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश संख्या–146/पाँच–9–2015–9(127)/12 दिनांक 28.01.2015 द्वारा गठित जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं पोषण समिति की बैठक प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त बैठक में गत माह जनपद में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के क्रियान्वयन, प्राप्त फीडबैक एवं रिपोर्टों की समीक्षा की जाये तथा जनपद में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के सुदृढ़ीकरण हेतु रणनीति तैयार की जाये।

6. अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग

- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश उपरोक्त शासनादेश में प्रेषित किये गये हैं। सत्र समाप्ति के पश्चात ए.एन.एम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री कम से कम आधे घंटे को एक साथ अवश्य बैठें जिससे की तीनों सेवा प्रदाता अपने अपने सम्बंधित अभिलेखों को अद्यतन कर सकें, तीनों के आंकड़ों में एकरूपता हो तथा अगले सत्र

हेतु लाभार्थी सूची तैयार की जा सके। आशा द्वारा अपने वी0एच0आई0आर0 के Due List में सर्वप्रथम में उन लाभार्थियों के नाम अंकित किये जाने चाहिए जो किसी कारण वश इस सत्र में नहीं आ पाये हैं। इसके पश्चात उन लाभार्थियों के नाम अंकित किये जायें जिनके द्वारा वर्तमान सत्र में सेवा प्राप्त की गयी है एवं अगले सत्र में भी बुलाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगले वी0एच0एन0डी0 से पूर्व आशा एवं आँगनबाड़ी द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान क्षेत्र में अन्य लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें Due List में अंकित किया जाये। प्रायः यह देखने में आता है कि आशायेंकेवल दो ए.एन.सी.चेक अप हेतु ही Due List तैयार करती हैं जिससे तीसरी एवं चौथी ए. एन.सी. चेक अप हेतु गर्भवती महिलाओं का फालोअप नहीं हो पाता, अतः फुल ए.एन.सी. हेतु चारों ए.एन.सी. चेक अप की Due List तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के नवीन टैली शीट में वी0एच0एन0डी0 से सम्बन्धित MCTS Portal पर अंकित किये जाने वाले सभी कॉलम सम्मिलित किये गये हैं। अतः ए0एन0एम0 द्वारा सत्र समाप्ति के तुरन्त बाद पूर्णतः भरी हुई टेलीशीट की एक प्रति ए0वी0डी0 के माध्यम ये ब्लाक स्तर पर प्रेषित की जाये।
- ब्लॉक स्तर पर रिपोर्ट वैलीडेशन के पश्चात ब्लाक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के माध्यम से एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपलोड कर दी जाये। नये जनरेट किये जाने वाले Mother and Child ID ब्लाक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा टैलीशीट पर अंकित कर दी जाये। उक्त टैलीशीट ब्लाक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा ए0एन0एम0 को उनकी ब्लाक स्तरीय बैठक मे उपलब्ध करा दिया जाये एवं ए0एन0एम0 से टैलीशीट की द्वितीय प्रति प्राप्त कर ली जाये। प्राप्त सूचना ए0एन0एम0 द्वारा आर0सी0एच0 रजिस्टर एवं एम0सी0पी0 कार्ड पर नियमित रूप से अंकित की जाये। पर्यवेक्षक अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान इसकी पुष्टि आर0सी0एच0 पंजिका से करना सुनिश्चित करें।
- ब्लॉक स्तर से माह के दौरान एकत्र की गयी टैलीशीट (गत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक) की संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर अंकित कर ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक माह की 30 तारीख तक जनपद स्तर एवं राज्य स्तर (vhndup@gmail.com) पर अवश्य प्रेषित किया जाये। ब्लॉक मुख्यालय पर रिपोर्ट सत्रवार एवं उपकेन्द्रवार तैयार करायी जाये। जनपद स्तर से समस्त ब्लॉकों की संकलित रिपोर्ट दिये गये प्रपत्र पर अंकित कर ई–मेल के माध्यम से अगले माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर (vhndup@gmail.com) पर अवश्य प्रेषित किया जाये। UP HMIS के पूर्णरूप से क्रियान्वित होने के पश्चात उक्त रिपोर्ट UP HMIS के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

7.वित्तीय व्यवस्था

- वर्ष 2016–17 के अनुमोदित कार्ययोजना में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक प्रपत्रों के मुद्रण हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कुल आयोजित सत्रों के 20 प्रतिशत सत्रों के पर्यवेक्षण हेतु रू0 100 प्रति पर्यवेक्षण की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है।

- टैलीशीट एवं अनुश्रवण प्रपत्र का मुद्रण–

➢ जनपद द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए दो प्रतियों में टैली शीट का मुद्रण किया जाना है। इस हेतु प्रति टैलीशीट सेट (दो प्रति) रू0–2.80 की दर से एवं अनुश्रवण प्रपत्र हेतु रू0 0.50 प्रति प्रपत्र की दर से उपरोक्त तालिका के अनुसार धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

➢ टैलीशीट के मुद्रण हेतु कुल आयोजित सत्रों के अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैलीशीट को सम्मिलित करते हुए टैलीशीट का मुद्रण कराया जाना है।

➢ मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर टैलीशीट एवं मॉनीटरिंग फॉर्मेट का मुद्रण कर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

➢ अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय समस्त वित्तीय नियमों का पालन करते हुये ऑपरेशनल फाइनेंशियल गाइड लाइन्स के अनुरूप ही किया जाये।

उपरोक्त अनुमोदन के सापेक्ष जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है–

S.I.	Districts	No. of Blocks	No. of VHND Sessions	VHND 1-Rs.2.8/session including 10% wastage 2-Rs. 0.50 for supervision format 20% of session 3-Rs.100 for supervision 20% of session
FMR code				B14.22
1	Agra	15	32265	747,903
2	Aligarh	12	38179	884,989
3	Allahabad	20	53483	1,239,736
4	Ambedkarnagar	9	26943	624,539
5	Amethi	13	26483	613,876
6	Amroha	6	21095	488,982
7	Auraiya	7	17563	407,110
8	Azamgarh	22	45325	1,050,634
9	Baghpat	6	13187	305,675
10	Bahraich	14	36915	855,690
11	Ballia	17	37907	878,684
12	Balrampur	9	21023	487,313
13	Banda	8	21475	497,791
14	Barabanki	15	34359	796,442
15	Bareilly	15	40357	935,475
16	Basti	14	26195	607,200
17	Bijnour	11	35134	814,406
18	Budaun	15	33975	787,541
19	Bulandsahr	16	45487	1,054,389

20	Chandauli	9	19805	459,080
21	Chitrakoot	5	12141	281,428
22	Deoria	16	38943	902,699
23	Etah	8	20171	467,564
24	Etawah	8	15051	348,882
25	Faizabad	11	30352	703,559
26	Farrukhabad	7	21203	491,486
27	Fatehpur	13	25499	591,067
28	Firozabad	9	21662	502,125
29	GB Nagar	4	18995	440,304
30	Ghaziabad	4	14195	329,040
31	Ghazipur	16	39443	914,289
32	Gonda	16	34798	806,618
33	Gorakhpur	19	54707	1,268,108
34	Hamirpur	7	10031	232,519
35	Hapur	4	27767	643,639
36	Hardoi	19	41757	967,927
37	Hathras	7	16115	373,546
38	Jalaun	9	20107	466,080
39	Jaunpur	21	47155	1,093,053
40	Jhansi	8	21987	509,659
41	Kannauj	8	19919	461,722
42	Kanpur Dehat	10	19395	449,576
43	Kanpur Nagar	10	31887	739,141
44	Kasganj	7	12275	284,535
45	Kaushambhi	8	16115	373,546
46	Kushinagar	14	37883	878,128
47	Lakhimpur Khiri	15	40183	931,442
48	Lalitpur	6	11137	258,156
49	Lucknow	8	22415	519,580
50	Maharajganj	12	28087	651,057
51	Mahoba	4	11939	276,746
52	Mainpuri	9	20934	485,250
53	Mathura	10	25135	582,629
54	Mau	9	25043	580,497
55	Meerut	12	32625	756,248
56	Mirzapur	12	24507	568,072
57	Moradabad	8	29375	680,913
58	Muzaffarnagar	9	30227	700,662
59	Pilibhit	7	19984	463,229
60	Pratapgarh	17	40703	943,496
61	Raebareli	18	26614	616,913

62	Rampur	6	19571	453,656
63	Saharanpur	11	29887	692,781
64	Sambhal	8	26867	622,777
65	Sant Kabir Nagar	9	17555	406,925
66	Sant Ravidas Nagar	6	18652	432,353
67	Shahjahanpur	15	31334	726,322
68	Shamli	5	13687	317,265
72	Sravasti	5	12755	295,661
69	Siddharth Nagar	14	26675	618,327
70	Sitapur	19	51779	1,200,237
71	Sonbhadra	8	20027	464,226
73	Sultanpur	13	27767	643,639
74	Unnao	16	35219	816,376
75	Varanasi	8	33987	787,819
Total		**820**	**2051378**	**47550949**